कार्यालयः— निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा—माध्य/संस्था/डीपीसी/6004/चयन/2022—23/02995 दिनांकः 13.12.2024 (rajkaj ref. no. 12429932) द्वारा राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 के नियम 31 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद के विभिन्न विषयों के चयन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 20.11.2024 में की गई। अनुशंषा के आधार पर द्वितीय श्रेणी अध्यापक से प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पर पे मैट्रिक्स लेवल—12 में डीपीसी वर्ष 2021—22 एवं 2022—23 के लिए वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर 10515 प्राध्यापकों को चयनित किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 20.11.2024 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित सभी प्राध्यापक अपने पृथक से आदेश जारी होने तक उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है। पदोन्नत प्राध्यापक अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए आदेश जारी होने के तिथि के पश्चात कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगें एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग की ई मेल आई डी so.csection@gmail.com. पर प्रेषित करेगें। पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।

संबंधित कार्मिक को दिनांक 23.12.2024 तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिति में स्वतः पदोन्नति परित्याग मान लिया जाकर पदोन्नति परित्याग संबंधी आदेश जारी किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। उक्त चयन कार्मिक विभाग की संतान संबंधी अधिसूचना दिनांकः 16.03.2023 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने दायर डीबीसी याचिका संख्या 13218/2024 व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा एवं उक्त प्रकरण में पारित आदेशों की पालना में पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगें।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / संस्था / सी–4 / डीपीसी / पदस्थापन / 2021–22, 2022–23 / 2024–ई– दिनांक–यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक प्रांरभिक शिक्षा एवं पंचायती राज. (प्राशि) विभाग राजस्थान बीकानेर
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर
6. संयुक्त विधि परामर्शी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
7. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माशि एवं प्राशि / डाईटस / अतिरिक्त जिला परियोजना अधिकारी / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
8. स्टाफ ऑफिसर निजी अनुभाग कार्यालय हाजा
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
10. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण प्रकोष्ठ / डीपीसी / वरिष्ठता / विभागीय जांच / संस्थापन सी–1,सी–2, सी–3,सी–7 कार्यालय हाजा
11. **संबंधित प्रधानाचार्य / संस्था प्रधान**
    - **चयनित कार्मिक से पदोन्नति परित्याग को प्रार्थना पत्र प्राप्त कर दिनांक 23.12.2024 तक इस कार्यालय को अवगत करावे।**
    - **लम्बे समय से अनुपस्थित / निलंबित कार्मिक को पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं कराते हुए इसकी सूचना निदेशालय को देवें।**
    - **जिन कार्मिकों के विरूद्ध सीसीए 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रकियाधीन है उनके संबंध में कार्यग्रहण से पूर्व में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें।**
    - **माननीय न्यायालय में दायर न्यायिक वादकरण के संबंध में संबंधित नियंत्रण / मण्डल अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि वे पदोन्नति पर कार्यग्रहण करवाते समय लोक सेवक से "संतान संबंधी घोषणा पत्र" प्राप्त करें एवं ऐसे लोक सेवक जिनकी 01.06.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पति से संतानों की संख्या दो से अधिक है एवं उनकी पदोन्नति पूर्व में इससे प्रभावित नहीं हुई है, के "संतान संबंधी घोषणा पत्र" संबंधित मण्डल कार्यालय के माध्यम से समेकित कर इस कार्यालय को भिजवाना सुशिचित करावें।**
12. संबंधित कार्मिक को पालनार्थ।
13. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :17-12-2024 11:17:06

RajKaj Ref No.: 12470116